भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 200

दिनांक 03/02/2021/14 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर चिंता

200 श्री नीरज डांगीः

डॉ. अमी याज्ञिकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत में शंतिपूर्ण असंतोष व्यक्त करने के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और/या निरुद्ध किए जाने के मामलों में वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा ब्यक्त की गई चिंता का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि सरकार की कोई प्रतिक्रिया नही है तो, इसके क्या कारण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने भारत में मानव अधिकार संबधी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां करने के बारे में मानव अधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा 20 अक्टूबर, 2020 को जारी प्रेस रिलीज का संज्ञान लिया है और उसी अनुसार यथोचित कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, मानव अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 सहित कई विधानों में पर्याप्त सुरक्षा के उपाय उपलब्ध है।

******